ORIGINAL RESEARCH PAPER

Sociology

महिला सशक्तिकरण एंव सतत् विकास

KEY WORDS:

प्रो. कैलाश सोलंकी

समाजशास्त्र (समाजशास्त्र विभाग शासकीय आदर्श महाविद्यालय हरदा जिला हरदा

कसी भी देश का समग्र विकास महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरा है।राष्ट्र प्रणेता स्वामी विवेकानन्द ने विकास प्रक्रिया मे महिलाओं की भूमिका स्वीकार करते हुए उचित ही कहा था कि जिस प्रकार एक पंख से चिड़िया उडान नही भर सकती है उसी प्रकार महिलाओं के बिना किसी भी अंग में महिलाओं कि सहभागीता के कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।

महिला सशक्तिकरण के अंर्तगत महिलाओं से जुडे सामाजिक,आथिक,राजनैतिक और कानूनी मुददो पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है, सशक्तिकरण की प्रकिया मे समाज को पारम्परिक पितृसत्तात्मक दृष्टीकोण के प्रति जागरूक किया जाता है जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आन्दोलनो और अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं में महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनितिक अधिकारों को प्राप्त करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आघ्यामिक शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रकिया है।

'सशक्तिकरण' का तात्पर्य है 'शक्तिशाली' बनाना। सशक्तिकरण को सामाजिक, आर्थिक एंव राजनीतिक असमानताओं से पैदा हुई समस्याओं एंव निक्ताओं से निपटने के रूप मे देखा जा सकता है। इसमें जागरूकता,अधिकार एंव हकों को जानने , सहभागिता , निर्णयन जैसे घटको को लिया जाता है।

पैलिनीयूराई के शब्दों मे " महिला सशक्तिकरण वह प्रकिया है जिसके कारण समाज के विकास की प्रकिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर मान्यता दी जाती है।"

डॉ.बी.आर अम्बेडकर का कथन है कि'" भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती किन्तु आसुओं की चिन्ता करते हुए वह रोटी,असमान व्यवहार, शोषण से अवश्य डरती है इसमें बाबा साहेब ने महिलाओं की वास्तविक वेदना को मुखरित किया है महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता बहुआयामी है यह कोई पुरुष निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष विमर्श है और इसके लिए पुरुषो भी आना होगा। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है यह महिलाओं के सर्वोगीण विकास के लिए प्रथम एंव मूलभूत साधन है। क्योंकि महिलाओं के शिक्षित होने पर जागरूकता , चेतना आयेगी। अधिकारों की सजगता होगी, रूढियॉं , कुरीतियॉं ,कुप्रथाओं का अन्धेरा छुटेगा और वैचारिक क्रान्ति से प्रकाश पुंज फूट निकलेगा। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं समाज में सशक्त, समान एंव महत्वपूण भूमिका दर्ज करा सकती है, इसके साथ ही अपनी आर्थिक व राजनितिक भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकती है जिसमें राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर की महिलाओं से जुडी योजनाएं महत्वपूर्ण है।'

महिला सशक्तिकरण के सामाजिक विकास के कारक :– महिला सशक्तिकरण के सामाजिक विकास के निम्न कारक प्रमुख रूप है:–

(1) भारत में महिलाओं की गिरी हुई दशा सुधारने का प्रयास 19वी शताब्दी से प्रांरभ होता है। महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उनेक समाज सूधारक जैसे– राजा राममोहन राय (1774–1833) , ईश्वर चन्द्र विद्यासागर (1820–1871) , स्वामी दयानन्द सरस्वती (1827–1833) , केशव चन्द्र सेन (1838–1884) , स्वाती विवेकान्द (1868–1902) ,महात्मा गांधी (869–1948), आदि महापुरूषों ने क्रांतिकारी विचारो से भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं उत्थान के लिए जागरूक ण, महत्वपूर्ण योगदान एवं संघर्ष किया है। इन समाज सुधारको के द्वारा ब्रहा समाज , सती प्रथा, निरोधक अधिनियम, बाल विवाह समाप्त, विधवा–पुनविवाह ,पर्दा प्रथा रोकथाम, स्त्री शिक्षा, विशेष विवाह अधिनियम, अन्तजतिय विवाह आदि का महत्वपूर्ण कार्य किये गये।

इस 19 वीं शताब्दी में कई महिलाओं एवं स्त्री संगठनों के द्वारा महिला अधिकार दिलाने एवं जागृति लानेके लिए रमाबाई रानाडे , मेडम कामा, तारेदत ,मारग्रेट नोवल तथा ऐनी बेसेण्ट आदि महिलाओं तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 'भारतीय महिला समिति' विश्वविद्याय महिला संघ अखिल भरतीय सत्री दृ शिक्षा संस्था कस्तुरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट' आदि महिला संगठनों के द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न किंयं गये है।

20वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण स्वये सेवी संगठनों ने गूजरात नाही महामण्डल (1908) व 'भागिनी समाज' (1908) आदि महिला संगठनों के द्वारा समाज मे महिलाओ को उचित स्थान दिलानेके हलए सतत संघर्ष किया। श्रीमति सरोज नलिकी दत ने जिलों नगरो व ग्रामों में ' महिला समितियों का गठन किया। सरोजिली नायडू के नेतृत्व मे भारत दृ सचिव मिस्टर मांटेगयू को ज्ञापन देकर महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये गया है।

महिलाओं के संवाधानिक व्यवस्थाएं :– भारत में महिला सशक्तिकरण में समय–समय पर अनेक अधिनियम के द्वारा स्त्रियो की दशा सुधारने के 1955 के हिन्दु विवाह अधिनियम, बाल–विवाह अधिनियम बाल–विवाह समाप्त ,विवाह–विच्छेद, 1956 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, स्त्रियो और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, दहेज निरोध्क अधिनियम,1961 आदि ने महिलाओं की स्थिति सशक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान है।

महिलाओं के संवैधानिक अधिकारो भारतीय संविधान में निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान करता है:–

सीन, जन्म, लिंग,जाति ,रंग,लिंग,धर्म या इसमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के प्रति भेदभाव नही करती। (अनु.15(1))

- कानून के समक्ष महिलाओ की समानता (अनु.14)
- महिलाओ और बच्चो के लिए विशेष उपबंध (अनु.15(1))
- भारतीया महिलाओ को स्वतन्त्रता का अधिकार (अनु.19)
- महिलाओ के खिलाप होने वाले शोषण को स्त्री की गरीमा को अचित नही मानते हूए महिला खरीद–बिक्री, वेश्यावृति के लिए जबरदस्ती , भीख मगवाना आदि दण्डनीय अपराध है। (अनु.23–24)
- सरकार ने पुरूष और महिलाओ के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने, पुरूषो और महिलाओ के कमान कार्य के लिए समान वेतन की नीति। (अनु.39(घ))
- भारत के सभी लोगो के बीच भाई– चारे की भावना एवं महिलाओ की प्रतिष्ठा के लिए अपमान जनक प्रथाओ का परित्याग करना।(अनु.51(क)(ड))
- पंचायत चूनाव मे ऊँ6 महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण व्यवस्था। (अनु.243(घ).3,4)
- नगर निगम में प्रस्ताव चुनाव से भरी जाने वाली सीटो मे 1/3 सीटे महिलाओ के लिए आरक्षित। (अनु.243(न)(3),(4))
- महिला एवं पूरूष को निर्वाचकनामावली में दोनो को समान रूप से मतदान का अधिकार है। (अनु.325)

शिक्षा का प्रसार :– महिलाओ में शिक्षा का प्रयार होने से परम्परागत बन्धनों , रूढ़ीवाहदता व धर्मान्माता से मुक्त होकर सामाजिक कुरुतियों को त्यागा, और तर्क विवेक जागा और ज्ञान के द्वारा खुले। शिक्षा मे महिलाओ को अपने अधिकारो के प्रति जागरूक बनाकर महिला सशक्तिकरण का मुख्य कारक रहा है।

भारतीय संस्कृति का प्रभाव :– भरत के लोग पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति के समपर्क में उानेसक स्त्री पुरूषों की समानता, स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्याय मूल्यों विचारो और विश्वासो आदि का जागरूक कर अपनानें लगें। उन्ही स्वतन्त्रता , समानता, न्याय और अपने अधिकारो की मांग के कारण सामाजिक , आर्थिक एवं राजनीतिक सूविधाएं एवं अधिकार प्राप्त हुए।

औद्योगीकरण एवं नगरीकरण :– उौद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण स्त्रियों की पूरूषो पर आर्थिक निर्भरता कम हूई, वे स्वयं कारखाने में काम करने लगी , उसमें आत्म विश्वास जागने एवं आत्म–निर्भरता आने से पुरूषां की दासता व निर्भरता समाप्त हुई। नगरो में व्यकितगत स्वतन्त्रता होने के कारण प्रेम विवाह, अन्तजतीय विवाह विवाह तथा विधवा– पुनर्विवाह होने लगे। नगरो में महिलाओ का शिक्षा के क्षैत्र में अधिक अवसर होने एवं नगरीकरण की महत्वपुर्ण योगदान रहा है।

इन सभी कारको के अलावा संयूक्त परिवार कीजगह एकाकी परिवार से महिलाओं के लिए अचछा भोजन, मकान व अन्य सुविधाए एवं स्त्रियो की स्वतन्त्रता , सम्मान एवं गतिशीलता में वृद्धि हुई। महिला राष्ट्रीय समिति , परिवार जीवन संस्था , महिलाओं के लिए अल्पावधि आवास ग्रह , लाभकारी योजनाओ का संचालन, सहिला विकास निगम, नाहीवादी विधि, पारिस्थितिवाद नारीवाद, आर्थिक कानूनो एवं समाजिक

महिला कल्याण कार्यक्रम :– भारत मे महिलाओ कि स्थिति का अध्ययन करने एवं उसमें सुधार हेतु 1971 में एक कमेटी बना, जिसने 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस कमेटी के सुझाव को ध्यान में रखकर महिला कल्याण के लिए अनेक कार्य किए गए है।

समान वेतन अधिनियम लागू किया गया। इसके अनुसार पुरूषों एवे महिलाओ के कमान वेतन की व्यव्स्था की गयी।

दहेज प्रथा को रोकन के लिए दहेज निरोधक अधिनियम 1961 पारित किया गया, जिसमें 1986 में संशोधन कर ओर कठोर बनाया गया।

- महिलाओं को विवाह–विच्छेद संबंधी सुविघा के लिए"हिन्दी विवाह अधिनियम'1955 पारित किया गया।
- मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 एंव 1976 बनाए गये।
- गरीब और जरूरत महिलाओं को ऋण सुविघा के लिए "महिलाओं के राष्ट्रीय ऋण कोष" की स्थापना की गई है।
- महिलाओं पर सामाजिक–आर्थिक रूप से हो रहे अन्याय एंव अत्याचारो से लडने के लिए "जनवरी 1992 में "एक राष्ट्रीय महिला आयोग" का गठन किया गया।
- 2अक्टूबर 1993 सम्पूर्ण देश में 1.32 लाख ग्रामिण महिलाओं के माध्यम से " महिला समृद्धि योजना लागू की गई।
- 1958 से प्रौढ महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण एंव शिक्षा के लिए 'केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड' के द्वारा कार्यक्रम संचालित है।
- स्वशक्तिः– विश्व बैंक तथा अन्तराष्ट्रीय कृषि विकास कोष का संयुक्त रूप से सहयोग प्राप्त कर एंव आत्म निर्भर बनाने के लिए 9 प्रान्तो बिहार, छतिसगढ, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक,उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल और मध्यप्रदेश में प्रसार करना प्रारम्भ किया
- ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए गांवो में "महिला मण्डल"का गठन किये गए।
- महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देने के लिए 1987 से कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश कृषि, पशुपालन, हथकरघा, हस्तशिल्प कुटीर और रेशम उघोग, आदि में कार्यरत गरिबी रेखा के नीचे जीवन–व्यापन वाली महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
- 18 से 50 वर्ष तक की कमजोर महिलाओं के लिए विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था की गयी।
- विज्ञापन में महिलाओं के भद्दे और अश्लील प्रदर्शनो पर रोक लगाने के लिए "महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण' अधिनियम, 1986' बनाकर दोषी व्यक्तियों को 2000।दृरूपये एंव 02 वर्ष तक का कारावास का दण्ड देने का प्रावधान किया गया ।
- दीन–हीन विघवाओं,जेल से रिहा की गयी महिला कैदी,मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं यौन शोषण से पीडित महिलाएं, आदी को सहायता पहुचाने के लिए " स्वाधार योजना" 2001–02 से केन्द्रीय क्षैत्र योजना शरू की गयी।
- 1958 से जरूरत मन्द एंव अनाथ महिलाओं को कार्य दिलाना के लिए समाज कल्याण बोर्ड 'द्वारा किया जा रहा है।
- 2 अक्टूबर 1993 से " महिला समध्दि योजना" प्रारम्भ कर ग्रामिण महिलाओं के लिए डाकघर मे 300 रूपये महिला जमा करा सकता है। 01 वर्ष तक रूपये जमा रहने पर 75 रूपये सरकार अंशदान उपलब्ध कराती है।
- सन् 1975 में सारे विश्व में अन्तराष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया। 8 मार्च 1992 को अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
- महिलाओं को उचित रोजगार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सन् 1986–87 में महिला विकास निगम"(क)स्थापित किया गया।

वयस्क महिलाओ को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दृष्टि से सन् 1958 से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड'' चलाया जा रहा है।

कानून:— दहेज, पुर्नविवाह ,बच्चे का संरक्षण, विवाह विच्छेद, निवप्रभावी विवाह, निर्योगविवाह,विवाह की आयु, जीवन साथी का चुनाव, आदि अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण मे योगदान रहा है।

महिला सशक्तिकरण के विवध अधिकार:— भारतीय संविधान दण्ड संहिता 1860 एंव दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून निम्नानुसार है:—

- महिलाओं की नग्न तस्वीर प्रदर्शित व क्रय–विक्रय करने पर आईपीसी की धारा 292 से 294 के तहत दो वर्ष तक कारावास एंव जुर्माना।
- आईपीसी की 313 से 318 के तहत गर्भपात कारित करने से संबंधित तथा धारा 312 में स्त्री की बिना सहमति गर्भपात कारित करना अपराध है।
- आईपीसी की धारा 354 (क) (ख) (ग) (घ) आदि महिलाओं के अवंछित शारीरिक संबंध या सम्पर्क की मांग, महिला को निर्वस्त्र करने ,महिला को घूर कर देखने, एंव किसी लडकी या महिला का पीछा करना अपराध है।
- 18 वर्ष से कम आयु की लडकी को बहला– फुसलाकर ले जाना, धारा 361 दण्डनीय अपराध।
- महिला अपहरण, भगाना या महिला को शादि के लिए विवश करना, धारा 366 एंव धारा 372 के तहत 18 वर्ष से कम महिला को वेश्यावृति के प्रयोजना से बेचना, धारा 372 के सहत दोषी माना जायेगा ।आईपीसी की धारा 494 के तहत पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है।

महिलाओं के हित के लिए समय–समय निम्न प्रमुख कानून बनाये गये है।:—

- सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, संशोधित 1987
- बाल–विवाह प्रतिबन्धात्मक अधि;–1929, संशोधित 200
- विधवा पुनर्विवाह अधि:–1856
- हिन्दु विववाह अधिनियम 1955
- हिन्दु दतक और भरण–पोषण अधिनियम,1956
- अनैतिक व्यापार और संरक्षता अधिनियम,1956
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम,1961,संशोधित,1986,2016
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम,1961
- गर्भ का चिकीत्सकीय समापन अधिनियम,1971
- समान वेतन अधिनियम,1976
- लिंग परिक्षण तकनीकी अधिनियम,1994
- घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम,200
- सूचना का अधिकार अधिनियम,2005
- किसी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण संबंधि अधिनियम,2013

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना:— किसी भी प्रकार की प्रकार की हिंसा से पीडीत,महिलाओं को पारिवारिक सहायता नहीं मिलती है तो जीवन मापन करने के सभी रास्ते बंद हो जाते है, एंव ऐसी कठिन परिस्थापित होने हेतु विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी पीडित महिला की आत्मनिर्भरता को बढावा देने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड दिया पोषण कर सकती है। इस उददेश्य से ''मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना'' मध्यप्रदेश में सितम्बर 2013 से प्रारम्भ की गई है।

उद्देश:— 1 –आपात स्थिति में महिलाओं की सहायता करना।
2 – पीडित महिला कों पुनस्थापित करना।
3 – महिलाओं को आत्म–निर्भर बनाना।
4 – महिलाओं को स्वदृरोजगार के प्रेरित करना।
5 – महिला का सामाजिक,आर्थिक,एंव शैक्षणिक स्तर बढाना।
6 – विषतिग्रस्त पीडित,असहाय,निराश्रित महिलाओं को आत्म–निर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धारा से जोडना।

लक्ष्य:— बलात्कार से पीडित महिला या बालिका।

- ऐसिड विक्टिम
- दुर्व्यवहार से बचाई महिलाएं जो गरिबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो।
- परिव्यकता,तलाकशुदा महिलायें (ठच्स्)
- जेल से रिहा महिलाए
- शासकीय एव अशासकीय आश्रय ग्रह, बलिका ग्रह अनुक्षरण गृह आदि में निवासरत विर्पात ग्रस्त बालिका एवं महिलाएं। अनुक्षरण गृह आदि में निवासरत विर्पात ग्रस्त बालिका एवं महिलाए।

प्रशिक्षण :— फार्मेसी दृ ब्यूटिशियन, होटल। मैनेजमेंट मर्सिग–शार्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स ,प्रयोगशाला कहायक फिजियोथेरपी–आई.टी.आई / पॉलिटेकिनक कोर्स ।

निष्कार्ष :— महिला सशक्तिकरण से हमारा तात्पर्य महिलाओं की शिक्षा और स्वतन्त्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान करना, कानून के तहत सुरक्षा देने का अधिकार आदि प्रदान करने से है। इसके साथ ग्रमीण महिलाओ की स्थिति में सुधार देखा गया है। महिलाओ की सहभागिता मे जनसंख्या कि दृष्टि से लगभग आधा हिस्सा महिलओं का है और वे उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था की सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ–साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में महिलाओ का योगदान एवं भुमिका मुख्य है। अन्य योजनाओं,उद्योगो, प्रबन्धन एवं निर्णय लेने कि प्रकिया में महिलाओ कि भागीदारी मुख्या है। कुल मिलाकर कसमाजिक राजीतिक आार्थिक सांस्कृतिक क्षैत्रो में महिलाओ की भूमिका महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ :—

1. महिला सशक्तिकरण विशेषांक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद 2016
2. ॢउचूचूबकउपे.हवअ.पद
3. उन्नति विचार , उन्नति विकास शिक्षण संस्थान अहमदाबाद, 2000
4. स्वामी विवेकानंद : मोदी डॉ.अनिता ,पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण , बुक एनक्लेव जयपूर राजस्थान 2009।
5. स्व – सहायता समुह : प्रक्रिया और प्रबंधन दृ महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र. शासन भोपाल।
6. डॉ. माधवीलता दूबे समाजशास्त्र , मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, 2018।
7. प्रो.एम.एल.गुप्ता एवं डॉ.डी.डी शर्मा ,भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र , साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा,2002।
8. प्रो.बनवारी लाल प्रजापति ,समाजशास्त्र उपकार प्रकाशन, आगरा 2014।
9. महिला सशक्तिकरण : नये आयाम (प्रेरणा)ॢचतमउंईंतजप.बवउ
10. पैलिनीथूराई,जी. इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन ,जनवरी दृ मार्च 2001।
11. लवानिया, एम.एम.भारतियो महिलाओं का समाजशास्त्र ,रिसर्च पब्लिशर्स,जयपुर, 2004।
12. गुप्ता एण्ड शर्मा, समाजशास्त्र , साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, 2009